मालीराम - कानूनी धारा 250/115

| दिनांक | आज्ञा पत्र |
|---|---|
| 18.5.18 | पत्रावली [illegible] अपीलार्थी [illegible] पेश की। [illegible] हुक्म मुबान [illegible] 5.7.18 [illegible] |
| 5-7-18 | बार-बार [illegible] कोई गैर। अपीलांट [illegible] के वकील कोई हाजिर नहीं आये। अतः [illegible] पैरवी [illegible] होने से अपील खारिज की जाती है। पत्रावली [illegible] दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। |

भू-अवस्था अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official